67

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम.के. सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1580-II/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 06.06.2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 236/2013–14 अपील

सुधीर कुमार जैन पुत्र श्री रमेशचन्द्र जैन
निवासी – भाई जी किराना की गली,
महाकाली तिगड़ा चमेली चौक, सागर (म.प्र.) ..... आवेदक

विरूद्ध

1. निर्मल कुमार जैन पुत्र श्री सुशील कुमार जैन
   निवासी–जूनियर एलआईजी 11, गौतम नगर,
   पोस्ट गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)
2. सतीश कुमार समैया पुत्र श्री भागचन्द्र जी समैया
   निवासी–अचलगढ़ तहसील मुंगावली
   जिला अशोकनगर (म.प्र.)
3. श्रीमती सुनीता समैया पत्नी श्री विजय समैया
   निवासी–चन्देरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)
4. श्रीमती संध्या देयरिया पत्नी श्री आनन्द कुमार
   निवासी–बवाई जिला होशागांबाद (म.प्र.)
5. श्रीमती साधना जैन पत्नी श्री सुमत कुमार जैन
   निवासी–बाजीराव कटरा मिर्जापुर (उ.प्र.)
6. श्रीमती सुलभा जैन पत्नी श्री अमित कुमार जैन
   निवासी–मुम्बई (महाराष्ट्र)
7. श्रीमती सुशीला बाई जैन पत्नी श्री रमेशचन्द्र जैन
   निवासी–चमेली चौक, सागर (म.प्र.) ..... अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी, धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक आवेदक
श्री निर्मल कुमार जैन, स्वंय अनावेदक क्रमांक 1
श्री अशोक अग्रवाल, अनावेदक क्रमांक 2
अनावेदक क्रमांक 3 लगायत 7 रजिस्ट्री से सूचना

!! आदेश !!

(आज दिनांक 14/03/2016)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 236/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 06.06.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक क्र.1 निर्मल कुमार जैन द्वारा तहसील न्यायालय में धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम अचलगढ़ की भूमि सर्वे क्रमांक किता 5 कुल रकवा 7.961 हैक्टेयर एवं ग्राम सिहोरा की भूमि सर्वे क्रमांक किता 3 रकवा 1.829 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में उनके नाम पर दर्ज है। रमेश चन्द्र आदि के पिता ताराचन्द्र अनावेदक क्रमांक 1 नाबालिग होने के कारण अभिलेख में संरक्षक की हैसियत से पूर्व में दर्ज रहे है। अनावेदक क्रमांक 1 के बालिग होने के बाद अब कोई सरपरस्त नहीं है। आवेदक का भूमि पर बिना सहमति के कब्जा है, इसलिए बेदखल किया जाये। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 25.01.2011 को आवेदक को बेदखल करने एवं 1500/–रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित करने के आदेश दिये। तहसील न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 निर्मल कुमार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी कि उसे 250/–रूपये प्रति हैक्टेयर के मान से 25000/– रूपये प्रतिवर्ष की दर से प्रतिकर दिलाया जाये। एक अन्य अपील तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध सतीश कुमार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी कि विवादित भूमि पर उनका पिता के समय कब्जा है, निरन्तर कब्जे के आधार पर उन्हें भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। अनुविभागीय अधिकारी दोनों अपीलों की एक साथ सुनवाई की जाकर आदेश दिनांक 04.07.2012 को निर्मल कुमार की अपील अस्वीकार कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 निर्मल कुमार द्वारा अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रकरण क्रमांक 236/2013–14 प्रस्तुत की गयी थी, जो आदेश दिनांक 06.06.2015 से स्वीकार की गयी। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया है।

2– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये है कि विवादित भूमि आवेदक के पिता ताराचन्द्र द्वारा क्रय की गयी थी, ताराचन्द्र द्वारा ही

अनावेदक क्रमांक 1 की पढ़ाई आदि करवायी गयी। ताराचन्द्र ही सरपरस्त हैं, जिसे अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा स्वीकार किया गया है। ताराचन्द्र द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में बताया गया है कि सर्वे क्रमांक 122/1 का उन्हें पता नहीं कि यह नम्बर से पिता से मिला है। अनावेदक क्रमांक 1 स्वंय आश्वस्त नहीं था, संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदक को कब्जा करने का दिनांक व प्रकार प्रमाणित करना होता है, जो अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

आवेदक के अभिभाषक की ओर से निगरानी मेमो में यह उल्लेख किया है कि अनावेदक क्रमांक 1 के प्रतिपरीक्षण से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा 46 वर्ष से कब्जा प्राप्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की है। अनावेदक क्रमांक 1 ने अपने कथन में आवेदक का कब्जा स्वीकार किया है, इसलिए संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन स्पष्टतः अवधि वाह्य था, जिसे विचारण न्यायालय ने स्वीकार करने में वैधानिक त्रुटि की है। इस संबंध में 2013 आर.एन. 28 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया है।

आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपने निगरानी के आधारों में यह भी उल्लेख किया है कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा ग्राम अचलगढ़ एवं ग्राम सिहोरा की भूमियों का कब्जा वापिस प्राप्त किये जाने की मांग की है। दो ग्रामों की भूमि के लिए एक ही आवेदन प्रस्तुत किया है, जो त्रुटिपूर्ण है। अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा 8–10 वर्ष से भूमि नहीं देखने का उल्लेख अपने कथन में किया है। इस प्रकार कब्जा वापिस का आवेदन 2 वर्ष के अन्दर नहीं है। इस संबंध में 2013 आन.एन. 277 उच्च न्याया. का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया है।

आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने निगरांनी मेमों में यह भी आधार लिया है कि अपर आयुक्त न्यायालय में प्रकरण के विचारण के दौरान रमेश चन्द्र जैन की मृत्यु हो गयी थी, ऐसी स्थिति में वारिसाना जानकारी प्रस्तुत की गयी थी, जिसके संबंध में अपील मेमो में संशोधन किये जाने के आदेश दिये गये थे किन्तु निर्धारित अवधि में कोई संशोधन नहीं किया गया था और बाद में जो संशोधन किया गया है, वह आवेदनकर्त्ता का नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा की गयी कार्यवाही अपास्त किये जाने योग्य है। निगरानी में यह भी उल्लेख किया है कि वारिसाना आवेदन के साथ धारा 5 का आवेदन एवं शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया था, ऐसी स्थिति में आवेदन

पत्र अवधि वाह्य होने के आधार पर निरस्त किया जाना चाहिए। धारा 250 के आवेदन पत्र में यह आवश्यक है कि बेदखल करने का दिनांक तथा किस प्रकार से कब्जा किया तथा पूर्व कब्जा किस प्रकार है, इन बातों को सहायता चाहने वालो का प्रमाणित करना चाहिए, जो इस प्रकरण में नहीं किया गया। धारा 250 भू–राजस्व संहिता में भूमिस्वामी को भूमि से आधिपत्य विहीन किये जाने का दिनांक दिया जाना चाहिए और स्पष्ट विवरण दिया जाना चाहिए जिसके बिना बेदखली का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में 1979 आर.एन. 318 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया। अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अपने कथनों में आवेदक का कब्जा स्वीकार किया गया है, ऐसी स्थिति में अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से प्रस्तुत आवेदन स्पष्टतः अवधि वाह्य था, जिस पर विचार किये बिना जो आदेश तहसील न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में 2005 आन.एन. 33, 2008 (2) छत्तीसगढ़ राजस्व जजमेंट पेज–38 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया है। अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा आधिपत्य छीने जाने का अभिकथन किया गया है और दो वर्ष के भीतर कब्जा वापिसी का कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में आवेदन अवधि वाह्य है। इस संबंध में 1989 (1) एम.पी.डब्ल्यू.एन. नोटस् 84 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया। अनावेदक क्रमांक 1 निर्मल कुमार यह स्पष्ट नहीं किया कि वादग्रस्त भूमियों पर कब उसका आधिपत्य रहा है, जबकि उसने यह बात स्वीकार की है कि विवादित भूमियों पर पूर्व में ताराचन्द्र का कब्जा था, इसके मृतक रमेश का कब्जा चला आ रहा है। इस तथ्य को अपने कथन में स्वीकार किया है। प्रतिपरीक्षण के पेज क्रमांक 7 तीसरी पंक्ति में स्वीकार किया है। इस प्रकार अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा कहीं भी प्रमाणित नहीं किया कि पूर्व में भूमि उसके आधिपत्य में थी तथा बाद में किस प्रकार से उसे बेदखल किया गया। उपरोक्त तथ्य पर विधिवत विचार किये बिना जो आदेश तहसील न्यायालय एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किये गये है, विधिवत नहीं होने से निरस्त किये जाने एवं अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखे जाने योग्य का निवेदन किया।

3– अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्य आधार लिया है कि आवेदक द्वारा जो निगरानी प्रस्तुत की है, उसमें याचिकाकर्त्ता के हस्ताक्षर नहीं है। शपथपत्र में हस्ताक्षर नहीं है। साथ ही साथ वकालतनामा में भी हस्ताक्षर नहीं है।

वकालतनामा पर हस्ताक्षर याचिकाकर्त्ता के नहीं है, इसलिए निगरानी का प्रस्तुतीकरण वैधानिक नहीं है। मेमों में दोनों अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर नहीं है, इसलिए दोनों अधिवक्ताओं को प्रकरण में उपस्थिति होने का अधिकार नहीं है।

अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में यह भी उल्लेख किया है कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा आपत्तियॉ को दिनांक 14.09.2015 को दी थी, उनके द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत नहीं किये क्योंकि अघोषित स्थगन हो गया है। आवेदक द्वारा आपत्ति का उत्तर नहीं दिया है और ना ही लिखित तर्क दिये हैं, जिससे अधिवक्ता द्वारा मिसकण्डेक्ट किया है। दिनांक 20.11.2015 को अधिवक्ता हडताल पर होने के कारण न्यायालय में उपस्थिति नहीं है। इस कारण न्यायालय का कार्य प्रभावित है, जो न्यायालय की अवमानना है।

अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अपनी लिखित बहस में यह उल्लेख किया है कि परीक्षण न्यायालय में आदेश 18 नियम 4 के अधीन शपथपत्र एवं लिखित तर्क प्रस्तुत किये है। शपथपत्र का कूटपरीक्षण नहीं हुआ है, अन्य कोई साक्ष्य या वैधानिक प्रावधान का लेख भी नहीं किया है, ऐसी स्थिति में सामान्य आवेदक ही नहीं रही है और उसे जब अपनी स्थिति उत्पन्न करने के लिए समुचित अवसर मिला हो और उसने अपना पक्ष स्पष्ट रूप से न रखा हो, तो उसे अपील अथवा पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुती का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। इस संबंध में 1972 आर.एन. 360 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया है। अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अपनी लिखित बहस में यह भी उल्लेख किया है कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अपनी लिखित बहस जून 2013 में दी है किन्तु याचिकाकर्त्ता द्वारा लिखित तर्क सितम्बर 2013 में दिये हैं और अपीलीय न्यायालय की कार्यप्रणाली में प्रश्न चिन्ह लगाये है, जो उचित नहीं है।

अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अपनी लिखित बहस में यह उल्लेख किया है कि याचिकाकर्त्ता ने अधीनस्थ न्यायालयों में दिये गये मौखिक कथन को साक्ष्य नहीं माना जा सकता। याचिकाकर्त्ता द्वितीय अपीलीय न्यायालय के आदेश से दुखी है तो उसे इस न्यायालय में विधि–विधान के आधार पर विचारणीय हैं। आवेदक द्वारा वैधानिक आधार पर अनावेदक क्रमांक 1 को तंग करने के लिए याचिका प्रस्तुत की है, जो उचित नहीं है। अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 06.06.2015 में याचिकाकर्त्ता का दिखावटी कब्जा अवैधानिक माना है, जिसका कोई प्रतिवाद इस याचिका में नहीं है।

आवेदक विरोधी आधिपत्य का दावा कर रहा है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि एक साथ दो टाईटल अवैध कब्जा एवं प्रतिकूल कब्जा नहीं हो सकते।

अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अपनी लिखित बहस में यह उल्लेख किया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बेकब्जा एवं विरोधी आधिपत्य के सिद्धांत निर्धारित किये गये है आवेदक के दावे में इन सिद्धांतों के अनुरूप कोई कृत्य तथ्य इस याचिका में नहीं है। आवेदक, अनावेदक क्रमांक 1 के उसके आयु के आधार उसकी मृत्यु तक विवाद लम्बे समय तक चलाना चाहता है व अनावेदक क्र. 1 को न्याय से वंचित करने का प्रयास कर रह है, यह भी न्यायप्रक्रिया का दुरूपयोग हैं। लिखित बहस में यह उल्लेख किया है कि द्वितीय अपीलीय का आदेश दिनांक 30.12.2014 के अंतिम दो पैराओं के निष्कर्षो से स्पष्ट है कि अन्यथा भी 90 दिवस की समय सीमा में वैधानिक प्रतिनिधियों को शामिल करने का आदेश 22 नियम 4 (4) के अधीन छूट का करने अपील उपशमित नहीं होगी। पूर्व में भी मृत पक्षकार के उत्तराधिकारियों को अभिलेख में लेने हेतु द्वितीय अपीलीय न्यायालय में अनावेदक क्रमांक 1 के पत्र दिनांक 11.03.2014 में मूल प्रश्नों का उत्तर न देकर गलत व भ्रमित करने वाले कथन दिये हैं। इस प्रकार पुनः न्याय प्रक्रिया का दुरूपयोग याचिकाकर्त्ता द्वारा किया गया है।

अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अपनी लिखित बहस में यह भी उल्लेख किया है कि दिनांक 07.04.2010 को सतीश चन्द्र का ब्यान है कि पिताजी के गुजरने के बाद, मैंने किताबें देखी, तब यह बात मालूम की जमीन निर्मल कुमार के नाम पर है, स्वतः कहा कि जिस पर सरपरस्ती लिखी गयी है, मैं नहीं कह सकता कि वर्तमान में निर्मल कुमार की भूमि में सरपरस्ती लिखी गयी हुयी है, मैंने ग्राम .....की खसरा, खौतौनी की नकलें नहीं देखी। मैंने पिताजी के गुजरने के 20–25 वर्ष बाद मैंने किताबें देखी, तब मुझे मालूम हुआ कि भूमि निर्मल कुमार के नाम से है, मेरे पिताजी को खतम हुए 20 वर्ष पूर्व गुजर गये हैं। मैं भागचन्द्रजी का दत्तक पुत्र हूँ। मैंने 20 वर्ष से इस जमीन को अपने नाम कराने भी कोई कार्यवाही नहीं की ..... वादग्रस्त भूमि पर मेरे पिताजी एवं चाचाजी और मैं जोतते थे वही मैं जोतते का कब्जा करते हुए चले आ रहे हैं। दत्तक पिता एवं पुत्र दोनों ही भूमि जोतते आये है, उसी पर कब्जा पर आज दिनांक तक काबिज हैं, मेरी बहन का नाम मखमलबाई है। मुझे नहीं मालूम की ताराचन्द्र, भागचन्द्र अपनी सम्पत्ति में से कोई हिस्सा दिया है। यह वादग्रस्त भूमि निर्मल कुमार

के नाम कैसे हुयी आदि मुझे पता नहीं है, मैं स्वत्व के बारे में नहीं जानता, जबाव मैंने नहीं लिखाया। इस संबंध में 1977 व्हीकली नोटस् 391 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 250 (1)(ख) के अनुसार भूमिस्वामी की दशा में यथास्थिति बेकब्जा किये जाने की तारीख से या उस तारीख से जिसको कि उसे व्यक्ति का कब्जा अनाधिकृत हो जाये। दो वर्ष की भीतर तहसीलदार का आवेदन करने का प्रावधान है। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने स्वंय को म0प्र0 शासकीय सेवा आचरण अधिनियम के अधीन उच्च नैतिक मानकों को पालन करने सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करने एवं जबावदेही पारिदर्शिता से काम न कर व लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरूपयोग करने से दोषी होने के साथ ही स्वंय को दोषी बना लिया है। जब पुनरीक्षण याचिका में Substaintial question of law का अभाव हो एवं परीक्षण न्यायालय में Non-Constesting पक्षकार रहा हो एवं द्वितीय अपील में तथ्यों का जबाव न दिया हो तो सी.पी.सी. का आदेश 8 नियम 3 एवं 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 की धारा 101, 102 एवं 103 के अनुसार अनावेदक का दवा सही माना जा सकता है। याचिका में वर्णित तथ्यों पर प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील नहीं की है। अंत में लिखित बहस में निवेदन किया है कि प्रथम अपील न्यायालय का आदेश पुनः स्थापित किये जाने योग्य नहीं है, पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाये। प्रथम अपीलीय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध म0प्र0 सिविल सेवा आचरण अधिनियम के अधीन दोषी मानकर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु उचित टीप प्रेषित की जाये एवं आवेदक पर प्रतिकारात्मक खर्चे के प्रावधान के अनुरूप भारी दण्ड निर्धारित किया जाये तथा विशेष निवेदन में याचिकाकर्त्ता अधिवक्ता के दुराचरण के आधार पर प्रकरण को लंबित न कर याचिका के गुण, दोष पर शीघ्र निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया।

अनावेदक क्रमांक 2 के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से आवेदक के तर्को का समर्थन करते हुए प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगणों के तर्कों पर मनन किया गया एवं विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कब्जा वापिसी के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया है, जो समय

सीमा में नहीं है। यह कथन अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में स्वंय स्वीकार किया है। प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट किया गया है कि उनके द्वारा 46 वर्ष से कब्जा प्राप्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अनावेदक क्रमांक 1 ने अपने कथन में आवेदक का कब्जा स्वीकार किया गया है। इस प्रकार आवेदन स्पष्टतः अवधि वाह्य था, जिसके संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत विचार नहीं किया गया है। 2013 आर.एन. 28 में स्पष्ट किया गया है कि धारा 250 के उपबंध के अधीन आवेदन आवश्यक संघटक–आवेदक भूमिस्वामी होना चाहिए, भूमि का विवरण कब तथा किस प्रकार बेदखंल किया गया। यह आवेदक द्वारा दर्शाना तथा साबित किया जाना चाहिए, यदि वाद लंबित रहने के दौरान भूमि क्रय की गयी–क्रेता कब्जाधारी होना नहीं माना सकता, ऐसे संघटक साबित किये बिना आदेश विधि अनुसार नहीं है, अतः ऐसे आदेश को स्थिर नहीं रखा जा सकता। दो ग्रामों की भूमि के संबंध में एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जो न्याय प्राप्त करने की उचित प्रक्रिया नहीं है। अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण के विचारण के दौरान वारिसाना आवेदन अवधि वाह्य प्रस्तुत किया था तथा अपील मेमों में संशोधन निर्धारित अवधि में नहीं किया गया था और ना ही आवेदनकर्त्ता द्वारा किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही विधिवत नहीं है। सन् 1979 आर.एन. 318 में स्पष्ट किया गया है कि संहिता की धारा 250 के अधीन आवेदन पत्र में कब्जा हटाने का दिनांक नहीं। दिनांक बतलाने के लिए संशोधन की अनुमति दी जा सकती है। 2013 आर.एन. 277 उच्च न्याया. के न्यायदृष्टांत में स्पष्ट किया गया है कि धारा 250(1)(ख) परिसीमा बिन्दु का प्रारम्भ होना उप धारा 1 (ख) दो भागों में है। प्रथम भाग बेकब्जा की तारीख है, द्वितीय भाग है जब कब्जा अप्राधिकृत पाया जाये। यदि सीमांकन द्वारा या अन्य किसी विधिक कार्यवाही में कब्जा अप्रांधिकृत पाया गया, दो वर्ष की परिसीमा सीमांकन की तारीख या ऐसी विधिक कार्यवाही से प्रारम्भ होगी। सीमांकन की तारीख से दो वर्ष के भीतर आवेदन परिसीमा वर्जित नहीं। इस प्रकारण में आवेदन परिसीमा के अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं किया है और इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा किये गये कथन से स्पष्ट है कि 8–10 साल से मैंने वादग्रस्त भूमि नहीं देखी है। प्रतिपरीक्षण के पेज क्रमांक 3 की तीसरी पंक्ति में है। प्रतिपरीक्षण में यह भी बतलाया है कि आत्म–विश्वास की वजह मैंने कब्जा वापिसी की कार्यवाही 46 साल पहले नहीं की। इस प्रकार कथनों से स्पष्ट है कि उसके द्वारा

46 वर्ष से कोई कार्यवाही नहीं की गयी है जबकि संहिता की धारा 250 में दो वर्ष के अंदर कार्यवाही की जानी चाहिए। जहॉ तक अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा लिखित बहस में यह उल्लेख किया है कि अभिभाषक द्वारा याचिका पर हस्ताक्षर नहीं किये है, शपथपत्र पर हस्ताक्षर नहीं है एवं अभिभाषक पत्र के हस्ताक्षर में भिन्नता है। यह तर्क प्रक्रिया के सम्बन्ध में है, जबकि पुनरीक्षण में आवेदक के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है केवल अभिभाषक के हस्ताक्षर होना चाहिए, जो इस निगरानी मेमो में है। जहॉ तक शपथपत्र का प्रश्न है तो निगरानी मेमों के साथ शपथपत्र आवश्यक नहीं है। अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा लिखित बहस में प्रकरण के गुण, दोषों पर तर्क प्रस्तुत न कर निगरानी के प्रस्तुतीकरण पर दोषारोपण किये गये है, जो प्रकरण में विचार योग्य नहीं है। क्योंकि प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों पर किया जा रहा है। द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की वैधानिक स्थिति पर विचार किये बिना आदेश पारित किया है, अतः ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.2015 विधिवत एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2012 स्थिर रखा जाकर यह निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर